

36/c

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमपी / 2009-10/302-400

दिनांक : 13-5-10

परियोजना प्रबन्धक एवं
अधिसापी अभियन्ता (भू संसाधन),
जिला परिषद

विषय :- प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने
के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आयुक्तालय का परिपत्र क्रमांक एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमपी/
2009-10/1430-1629 दिनांक 26.2.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत ऊर्जा
शक्यता को प्रोत्साहन देने हेतु यदि आवश्यकता हो परियोजना क्षेत्रों में सौर ऊर्जा
प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने हेतु सुझाव दिया गया। इसी क्रम में यह स्पष्ट किया
जाता है कि डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा अधिकृत फर्म से डी.जी.एस. एण्ड डी. दरों पर
नियमानुसार कय किया जा सकता है।

निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमपी / 2009-10/302-400

दिनांक : 13-5-10

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज.
जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (एम.आई.ई.एस.), आयुक्तालय, जयपुर।
5. उपनिदेशक (प्रशासन / आईडब्ल्यूएमपी / ग्रामीण विकास / प्रशिक्षण / गुण नियंत्रण),
आयुक्तालय, जयपुर।
6. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
7. सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए.), पंचायत समिति
8. टाटा बी.पी.सोलेर इण्डिया लिमिटेड, बी-38, सेक्टर-5, नोएडा-201301 (यूपी.)

निदेशक